

The 29th April 1936

No. 1953-VS-10-Com.-In exercise of the powers conferred by. section 29 of the Indian Boilers Act, 1923 (V of 1923), and in supersession of all previous rules on the subject the Government of Bihar are pleased to make the following rules :--

RULES UNDER SECTION 29 OF THE INDIAN BOILERS ACT, 1923 (V OF 1923).

I. PRELIMINARY.

1. Definitions.-(1) These rules may be called the Bihar Boilers Rules, 1936.

(2) In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(a) "the Act" means the Indian Boilers Act, 1923 (V of 1923);

(b) "section" means a section of the Act;

(c) "regulation" means a regulation of the Indian Boiler Regulations, 1924, framed by the Government of India. under section 28 of the Act; and

(d) "form" means a form appended to these Rules.

II. GENERAL.

2. All sums realized as fees, costs and penalties under the Act shall be credited to the Government of Bihar.

III. FEES.

A. Calculation of the Boiler Registration fees.-(1) All fees payable under the Act or under these rules shall be paid into a treasury or sub-treasury by means of chalans or be paid by cheques or demand draft to the Chief Inspector of Beilers, Bihar, drawn on the State Bank of India, Dhanbad, The cheques must be crossed and drawn in favour of the Chief Inspector of Boilers, Bihar by designation and not by name. All such fees whether paid into treasury by means of chalans, demand draft or crossed cheques, shall be credited to the receipt head / XXXII(b) Miscellaneous Social Development Organisation Fees for inspection of Steam Boilers. Sabowe and

(2) Fees payable under sub-section (1) of section 7 and sub-section (4) of section 8 shall be calculated on the basis of boiler rating a prescribed in regulation 158.

(3) The formula for calculating boiler rating shall be as prescribe in regulation 157.

Annot . . Y

११ अमील ११३६

१९२२ (४, १९२२) की धारा २६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय के सभी पूर्ववत्ती नियमों का अवक्रमण करते इ.ए. बिहार सरकार निम्न नियमावली बलावी हैं :--

भारतीय वाष्पित्र अधिनियम (इंडियन ब्वायलर्स एक्ट), १९२२ (४,१९२२) की धारा २९ के अधीन नियमावली ।

१। प्रारंभिक।

 परिभाषा ।—(१) यह नियमावली बिहार वाष्पित्र नियमावली, १९३६ कहलायगी । (3) जयतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हो, इस नियमावली में,---

- (क) "अधिनियम" से तात्पर्य हे भारतीय वाष्प्रित्र अधिनियम (हंडियन व्वायलर्स एक्ट), (\$F39 (X, \$F39)
- (स) "धारा" से तात्पर्य है उक्त अधिनियम की धारा ।
- (ग) "विनियम" से तात्पर्य है भारत सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन बनायी गयी भारतीय वाष्प्रित्र विनियमावली (इंडियन ब्वायलर्स रेगुलेशन्स), १९२४ का कोई विनियम, और

(घ) "फारम" से तात्पर्य हैं इस नियमावली से संलग्न फारम

२ । सामान्य ।

र। उनत अधिनियम के अधीन फीस, खर्च और इंड के रूप में वसूली गयी सभी रकमें र सरकार के नाम आकलिए (जमा) की जायगी।

२। फीस ।

वाश्रिय निबंधन शुल्क का आकलन । इस अधिनियम के अधीन अथवा इस वावली के अधीम देय सभी शुल्क कोषागार अथवा उक्त कोषागार में अवालान के माध्यम से विषेगा अथवा स्टोट वैंक आफ इन्डिया, धनबाद के नाम आलिखित धनादेश अधवा राष्ट्रने विकर्ष के माध्यम से मुख्य वाष्ट्रिय निरीक्षक, बिहार को दिया जायेगाः। सभी धनादश ब रहेंचे और मुख्य बाष्पित्र निरीक्षक, बिहार के पदनाम से न कि उनके नाम से लिखित स प्रकार के सभी शुल्क, चाहे ने चालान दारा कोषागार के माध्यम से किये गये हो, चाहे भाषत विकर्म अथवा रेखांकित धनावेश के माध्यम से दिये गये हैं। "२२ 'बी'-प्रकीर्ण-विकास संगठन-वाष्यित्र निरीक्षण के निमित्त शुल्क' प्राप्तिमद में जमा होगें। वारा ७ की उप-धास (१) और धारा ८ की उप-धारा (४) के अधीन भुगतायी जानेवाली नणना विनियम २५५ में यथा विहित जायतर सेंटिंग के आधार पर की जाएगी । वायलर रीटिस की राणना का सुत्र (फाम् ला) वही होगा जो विनियम ११७ में

ationalised Dhanbad.

nent

(5

- (a) Registration Fees.—Fees for registration and first inspection of boilers shall be as prescribed in Regulation 150. 385.
- (b) Fees for renewal of certificates .- Fees required to accompany any application for the issue of renewed certificates under sub-section .(4) of section 8 shall be as follows :-

10 SR.M.

Rs.

-60 90

75 11

120 18

860

For boiler rating not exceeding (100 sq. ft.) For boiler rating exceeding 100 sq. ft., but not exceeding 300 sq. ft. 30 St. M. (100-300 St. ft.)

- For boiler rating exceeding 300 sq. M., but not exceeding 90 13 500 -sq. M. (300 - 500 Sp. H.)
- For boiler rating exceeding 50D sq. M., but not exceeding 105 16 700 sq. M (500-700 Sy. H.)
- For boiler rating exceeding 70 sq. fM, but not exceeding 900 sq. M (100-900 Sq.H)
- For boiler rating exceeding 900 sq. fu, but not exceeding 135 2 1,100 sq. th (900-1100 Sp. 61.)
- For boiler rating exceeding 1,10 sq.M. ft., but not 150 2 exceeding 2,000 sq. Mft. (1100 - 2000 St. H.)
- For boiler rating exceeding 2,000 sq.M ft., but not 180 2 exceeding 4,000 sqm ft.(2000 - 4000 \$4.H.)
 - For boiler rating exceeding 4,000 sq.M ft., but not 210 exceeding 6,000 sqN ft. (4000 - 6000 59.ft.)
- For boiler rating exceeding 6,000 sqMft., but not 240 exceeding 8,000 sqM ft. (6000 - 8000 Sq.ft)
- For boiler rating exceeding 8,000 sqM ft., but not 270 exceeding 10,000 sqM ft. (8000 - 10,000 S.H.)
- For boiler rating exceeding 10,000 sqM ft., but not 800 exceeding 12,000 sqMft. (10,000 - 12,000 S.H.)
- For boiler rating exceeding 12,000 sqM ft., but not 320 exceeding 14,000 sqt ft. (12,000 - 14,000 Sp. H)
 - For boiler rating exceeding 14,000 sqM ft., but not 340, exceeding 16,000 sq M ft. (14,000 - 16,000 G.H.)
- For boiler rating exceeding 16,000 sq.M ft., but not exceeding 18,000 sqM ft: (16,000-18,000 S. H.)

(क) निबंधन-फीस । - वाष्पित्र के निबंधन और प्रथम निरीक्षण की फीस वही होगी जो विनियम १४६ में विहित हैं।

(स) प्रमाण-पत्रों के नवीकरण की फ़ीस । धारा के की उप-धारा (४) के अधीन नवींकृत प्रमाण-पत्र के निर्गम के लिये आवेदन-पत्रि के साथ दी जाने वाली फीस का मान निम्न होगा :---

२००४वर्णकीटः तक के ब्वायलर रेविंग के लिए:

के लिए ।

🖲 🕙 निम्न कीसे विद्वित की जाती हैं :---

१७ वाफीट से अधिक और २०० वर्गफीट तक कावायलर रीटिंग के लिए 00 वर्गीफीट से अधिक और 200 वर्गफीट संबंधक व्यायलर मेटिन के लिए * 60 200 वर्गफीट से अधिक और 800 वर्गफीट सेव वे व्यायतर रेटिंग के लिए ७०० वर्गफीट से अधिक और १०० वर्गफीट तक कायलर रदिग के लिए 830 ह०० वर्राफ्रीट से अधिक और १,१०० वर्गफीट तक के व्वायलर रेटिंग के लिए २ 000 वर्गफीट से अधिक और 3,000 वर्गफीट तक के व्यायलर रेटिंग के लिए 340 २१७० वर्गफीट से अधिक और ४,१०० वर्गफीट तक के व्यायलर रेटिंग के लिए 1000 बर्गफीट से अधिक और ६,००० वर्गफीट तक के व्यायलर रेट्रिंग के लिए 🖤 २१० < 000 वर्गफीट से अधिक और 5,000 वर्गफीट तक के क्य टिंग के लिए २४०

द 060 वर्गफीट से अधिक और १०,००० वर्गफीट तर 200

. १०,००० वर्गफीट से अधिक और १२,००० वर्गफीट तक के व्यायलर रेटिंग के लिए ।

१२.००० जर्गफीट से अधिक और १४.००० वर्गफीट नक के ब्लायलर सेटिंग 320 ex.000: वर्गफीट से अधिक और १६,000 वर्गफीट तक के व्यायलर रेटिंग 60.980 क लिए ।

१६,000 वर्गाफीट से अधिक और १८,000 वर्गफीट तक के ब्लायलर सेटिना 280 For boiler rating exceeding 18,000 sqM ft., but not 880 57 exceeding 20,000 sqM ft. (18,000 - 20,000 St. (1)

For boiler rating exceeding 20,00 sq.M ft., but not 395 59 exceeding 22,00 sqM ft. (20,000 - 22,000 S,H.)

For boiler rating exceeding 22,000 sq.M ft., but not 410 64 exceeding 24,000 sqMft. (22,000 - 24,000 S, 4.)

For boiler rating exceeding 24,000 sq M ft., but not 425 64 exceeding 26,000 sq M ft. (24,000 - 26,000 St. ().)

For boiler rating exceeding 26,00 sqM ft., but not 440 6 exceeding 28,000 sqM ft. (26.000 - 28,000 SqM)

For boiler rating exceeding 28,000 sqM ft., but not 445 68 exceeding 30,000 sqM ft. (28,000 - 30,000 S, (1))

(30,000 S(A)) For boiler rating exceeding 30,000 sqMft, for every 2,000 sqMft. /2 or part hereof an additional fees of Rs. 10 shall be charged.

(2) Application of the above fees.—The fees mentioned in sub-rule (1) shall cover thorough inspection, hydraulic test and steam test, where such are necessary, subject to the provisions of sub-section (2) of section 14.

(3) Second fee for re-inspection of defective boilers and inspections in default.—A second fee shall be leviable for the re-inspection of a defective boiler and also in any case where the inspection of a boiler is begun, but owing to the fault or neglect of the owner or person in charge, is not completed within a period of six months from the date of commencement of inspection.

(4) A duplicate of any certificate granted under section 7, or section 8, which is at the time in force, shall be granted by the Chief Inspector on the application of the owner of the boiler if the Chief Inspector is satisfied that the duplicate is required for, a bona fide purpose and a fee of Rs. 3 per copy is paid.

(5) A fee of Rs. 5 shall be payable for a copy of the Registration Book.

१८,००० वर्गफीट से अधिक और २०,००० वर्गफीट तक के व्यायलर रोटिंग के लिए ।

२०,००० वर्गफीट से अधिक और २२,००० वर्गफीट तक के ब्वायलर रेटिंग २६ के लिए ।

२२,००० वर्गफीट से अधिक और २४,००० वर्गफीट तक के ब्वायलर रेटिंग ४१० के लिए ।

२४,००० वर्गफीट से अधिक और २६,००० वर्गफीट तक के ब्वायलर रेटिंग ४२४ के लिए ।

२६,००० वर्गफीट से अधिक और २८,००० वर्गफीट तक के म्वायलर रेटिंग ४४० के लिए ।

२८,००० वर्गफीट से अधिक और २०,००० वर्गफीट तक के म्वायलर रेटिंग ४४४ के लिए ।

२०,००० बर्गफीट से अधिक के ब्यायलर रोटिंग के लिये प्रत्येक २,००० वर्गफीट या इसके किसी अंश के लिये १० रु० अतिरियत्त चार्ज किया जायेगा:

(२) उपर्युन्त फीस का उपयोग।--उप-ीनयम, (१) मैं उल्लिस्वित फीस, धारा (१४) की उप-धारा (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अवश्यकतानुसार पूर्ण निरीक्षण, जलीय परीक्षण (हाइड्रोलिक टेस्ट) और वाज़्रीय परीक्षण (स्टीम टेस्ट) के निमित्त ली जाएगी।

(२) त्रुटिपूर्ण वाष्पित्रों के पुनर्निनरीक्षण और चूक होने पर निरक्षिण के लिए दूसरी फीस-जिसी दुटिपूर्ण वाष्पित्र के पुनर्निनरीक्षण के लिए दूसरी फीस ली जाएगी और दूसरी फीस उस हालत में भी ली जाएगी जबकि किसी वाष्पित्र का निरक्षिण तो आरम्भ हुआ हो किन्दु उसके स्वामी या प्रभारी की गलती या लापरवाही से निरक्षिण के आरम्भ की तारील से छः महीने के भीतर पूरा न हुआ हो।

(3) धारा ७, या धारा ८, जो भी उस समय लागू हो, के अधीन दिये. गए किसी प्रमाण-पर्व की दूसरी प्रति, वाष्प्रित्र स्वामी के आवेदन करने पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा दी जायगी, बरावें कि पुल्प निरीक्षक का समाधान हो जाए कि दूसरी प्रति की आवश्यकता किसी वास्तविक प्रयोजन के लिये हैं और फी प्रति २ रु० के हिसाब से फीस चुका दी गयी हैं। (४) निबंधन बड़ी की एक प्रतिलिपि को लिए ४ रु० फीस ली जाएगी।

A state of the second second

fee of Rs. 50 shall be charged for the inspection of a boller on a Sunday and all holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881, provided that such inspection is made at the request of the owners of the boller. The whole of the fee as charged shall in the first instance be credited to Government under the receipt head "XXXII(b)-Miscellaneous Social and Development Organisation—Fees fer inspection of Steam Bullers". Half of the amount so credited shall subsequently be drawn and paid to the Inspector whom a claim for this amount has been made by him.

(7) Payment of Inspector's tratelling expenses in certain cases.— (a) In addition to any fees mentioned in sub-rules (1), (3) and (6) the above fees, an Inspector's travelling expenses shall be realized from owners, whose boilers are not ready for inspection on the first visit made on their application, for every additional visit paid by the Inspector for the completion of the inspection.

 \forall (b) If the owner of a boiler requires an inspection at a time which would necessitate a special journey by an Inspector, an additional fee equal to the travelling allowance of the Inspector and his attendant staff, if any, as determined by the Travelling Allowance Rules shall be paid by the owner of the boiler in addition to any fees mentioned in this rule :

Provided that if two or more owners apply for inspections which are made in the course of a single such journey, the additional fee prescribed in this clause shall be recovered from such owners in such proportion as the Chief Inspector may determine.

5. Refund of Fees.—(1) Fees paid in excess and fees paid for inspection which, for any reason not due to any fault or omission of the owners or person in charge of boilers, have not been made, shall be refunded if the refunds are applied for within one year from the date of payment; or may be set off against the fees for the inspections of any other boilers of the same owners.

(2) Refunds shall be debited to the head "XXXII(b)-Miscellaneous Social and Development Organisation—Fees for inspection of Steam Boilers".

IV. DUTIES OF THE CHIEF INSPECTOR.

6. General control.—The Chief Inspector shall be vested with all the powers of an Inspector under the Act, but his main duty shall be the supervision and control of the work of the Inspectors. He shall normally inspect or examine boilers only in exceptional cases, or in such cases as he considers that the work of an Inspector requires a personal check.

7. Specific duties.—The Chief Inspector shall—

 (a) personally check the registration books of all newly registered boilers, for the initial working pressure, and have all orders required by section 7 entered under his own signature;

पेक्ट १८९१ के अधीन सभी छुटिटयों के दिन वाष्पित्र के निरीक्षण के लिए ४० रु० अतिरिक्त कीस ली जाएगी, बशर्त्त ऐसा निरीक्षण वाष्पित्र स्वामी के अनुरोध पर किया जाए। इस प्रकार ली गई पूरी फीस सर्वप्रथम प्राप्ति मद "३२(बी)-विविध समाज एवं विकास संगठन— बाष्पित्र परीक्षा की फीस" के अन्तर्गत बिहार सरकार के नाम आकलित (जमा) की जाएगी। इस प्रकार जमा की गई रकम की आधी रकम बाद में निकाल ली जायगी और निरीक्षक को दे दी जायगी जिसने इस रकम के लिये दावा किया हो।

(७) कड़्लेक मामलों में निरीक्षक के यात्रा-च्यय का भुगतान ।—(क) (१), (३) और (६) उप-नियमों में उल्लिखित फीस के अतिरिक्त उपयुक्ति फीस और निसीक्षक का यात्रा-च्यय, उन स्वामियों से वस्ला जायागा जिनके वाष्पित्र (व्वायलर) उनके आवेदन पर किये गबे पहले परिदर्शन के दिन निरीक्षण के लिए तैयार नहीं रखे गए हों। निरीक्षक का यात्रा-च्यय निरीक्षक द्वारा कि? गए हर अत्तिरिक्त परिदर्शन के लिये वस्ला जायगा जो निरीक्षण पूरा करने के लिये आवश्यक हो ।

(ख) यदि किसी वाष्ट्रित स्वामी को एसे समय में निरीक्षण कराने की आवश्यकता हो, जिसके लिए निरीक्षक को खास तौर से यात्रा करनी पड़े, तो वाष्ट्रित स्वामी, इस नियम में उल्लिखित किसी फीस के अतिरिक्त, निरीक्षक और उसके सहचारी कर्मचारियों को बिहार सेवा-संहिता में यथानिर्धारित उनके यात्रा भत्ते के बराबर अतिरिक्त फीस हेगा :

परन्तु यदि दो या अधिक स्वामी निरक्षिण के लियें आवेदन करें और वे निरक्षिण ऐसी एक ही यात्रा के दौरान प्रेर कर लियें जायें तो इस खंड में विद्वित अतिरिक्त फ़ीस ऐसे स्वामियों से मुख्य निरीक्षक द्वारा निर्धारित अनुपात में वसूली जाएगी ।

¥। फीस की वापसी—(१) चुकाई गयी अधिक फीस और ऐसे निरीक्षण के लिये चकाई गयी फीस, जो वाष्पित्र-स्वामियों या वाष्पित्र-प्रभारी व्यक्तियों की मूल-चुक से भिन्न किसी कारण से नहीं चकाई गयी हो, वापस का दी जाएगी, बशतें कि भुगतान की तारीख से एक वर्ष के भीतर वापसी के लिए आवेदन कर दिया जाए अथवा यह फीस उन्हीं स्वामियों के टूसरे हाष्पित्रों के निरीक्षण की फीस में मिनहा की जा सकेगी।

(२) नापसी "२२ 'बी' प्रकर्णि सामाजिक और विकास संगठन वाष्पित्र निरक्षिण के निमित्त शुल्क" विकलित की जाएगी ।

४। मुख्य मिरीक्षक के कर्त्तव्य ।

Rep

६ । सामान्य नियंत्रण । अधिनियम के अधीन निरीक्षक की सभी शक्तियां मुख्य निरीक्षक में निहित होंगी, किन्त उसका मुख्य कर्त्तव्य निरीक्षकों के कार्य की देख-रेख और नियंत्रण होगा । सामान्यतः वह वाष्ट्रित्रों का निरीक्षण-परीक्षण असाधारण स्थिति में या ऐसी स्थिति में ही जब कि उसके विचार में किसी निरीक्षक के कार्य की व्यक्तिगत जांच अपेक्षित हो, करेंगा । ७ । सास-बास कर्त्तव्य । मुख्य निरीक्षक:--

(क) आरोभिक चालन-चार्प (वर्षिका प्रेशर) के लिए, सभी नये निवंधित वाणिवा की निवंधन-बाहियों की स्वंय जांच करेगा, और धारा 8 झरा अपेक्षित सभी आदेशों को अपने इस्ताक्षर से दुई कराएगा । entered under his own signature;

- (c) obtain the Memorandum of Inspection and Registration Books
 of a boiler which has been registered in another province
 and the subsequent transfer of which to this province is
 reported under clause (b) of section 6 [see regulation 161
 (a)];
- (d) approve the programme of inspections of all Inspectors subordinate to him with due regard to the convenience of owners generally;
- (e) examine and countersign the Inspector's notes of inspection entered on Form B, no. 2, after each inspection;
- (f) examine and pass orders on the diaries and returns of Inspectors;
- (g) pass orders in all cases in which an Inspector proposes to increase or reduce the pressure allowed for any boiler under provision (a) (ii) of sub-section (8) or to revoke, cancel or refuse to renew the certificate of a boiler under section 11, or to order important repairs, structural alterations or renewals in a boiler under section 8;
- (h) pass orders in all cases in which it is reported that after due notice the boiler has not been properly prepared for inspection;
- (i) Decide all appeals against the order of Inspector under section 19;
- (i) sanction prosecutions under the Act;
- (k) enquire into serious accidents to boilers:
- (1) prepare and submit to the local Government the Annual Report of the working of the Act; and
- (m) prepare and submit to the local Government the budget estimates for carrying out the purposes of the Act.

8. Advice to owners.—The Chief Inspector may advise owners regarding the maintenance, working and cleaning of boilers.

9. Registers to be kept.—The Chief Inspector shall keep in his office—

 (a) a register in Form A of all boilers registered in the province. or the registry of which has been transferred from another province;

- (स) ।नवयन पहान जपाएल गप करायगाः
- (ग) एसे वाष्पित्र के निरीक्षण-झाप आँर निबंधन बाहियों को प्राप्त करेगा जो दूसरे प्रान्त में निबंधित हुआ हो और बाद में इस प्रान्त में उसके अन्तरण की रिपोर्ट धारा ६ के खंड (ख) के अधीन दी गयी हो [देखें विनियम १६१ (क)];
- (घ) सामान्यतः स्वामियों की सुविधा का उचित ख्याल रखते हुए अपने अधीनस्थ सभी निरीक्षकों का निरीक्षण-कार्यक्रम अनुमोदित करेगा;
- (इ.०) हर निरीक्षण के बाद, फारम ख, सं० २ में दर्ज निरीक्षकों की निरीक्षण टिप्पणियों की जांच कर के अपना प्रतिहस्ताक्षर करेगा;
- (च) निरीक्षकों की डायरियों और विवरणियों की जांच करके उनपर अपना आदेश देगा ;
- (छ) एसे सभी मामलों में आदेश देगा जिनमें कोई निरक्षिक धारा ८ की उप धारा (४) के परन्तुक (क) (ⁱⁱ) के अधीन किसी वाष्यित्र के लिये अनुमत प्रेशर को बढ़ाने या घटाने. या धारा १९ के अधीन किसी बाष्यित्र के प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहत या रक्ष करने अथवा उसका नवीकरण अस्वीकार करने, या धारा ८ के अधीन किसी वाष्यित्र में आवश्यक मरम्मत, मंरचनात्मक परिवर्त्तन, या नवीकरण का आदेश देने का विचार करे.
- (ज) ऐसे सभी मामलों में आदेश देगा जिनमें यह रिपोर्ट की गयी हो कि उचित, सचना के बाद भी, वाष्पित्र निरीक्षण के लिए सम्चित रूप से तैयार नहीं रखा गया है;
 (भ) धारा १९ के अधीन निरीक्षक के आदेश के विरूट की गयी सभी अणीलों का निर्णय करेगा ;
- (च) अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजरी देगा ;

(ट) गंभीर वाष्ट्रित्र दर्घटनाओं की जांच करेगा :

- (ठ) अधिनियम के चालन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके उसे स्थानीय सरकार के सामने पेश करेगा ; और
- (ह) अधिनियम के प्रयोजनी को कार्यनिवत करने के लिए बजट-प्राक्कलन तैयार क के स्थानीय सरकार के सामने पेश करेगा ।

 द । स्वामियों को सलाह । म्रस्य निरीक्षक वाष्त्रियों के अन्रक्षण. चालन और सफाई के बारे में स्वामियों को सलाह देगा ।

हा बहियां।--मत्व्य निरीक्षक अपने कार्यालय में निम्न बहियां रखेगा--

(क) जारम क में उन समी वालियों की बही जो प्रान्त में निवंधित हुई हों या विकल निवंधन दूसरे प्रांकों से वंदरिक विकास गया हो ; (b) the registration book of all boilers borne on his register;

(c) a register of appeals;

- (d) a register of accidents; and
- (e) a register of registration and inspection fees received.

√ 10. Control of bills.-The Chief Inspector shall be the controlling or countersigning authority in respect of all contingent bills and of travelling allowance bills of officers subordinate to him.

11. Application for certificate.-When a certificate is required for a boiler application shall be made to the Inspector of Boilers by the Owner in Form B: no. 1, stating the date on which the boiler will be ready for inspection and such application shall be accompanied by a duplicate chalan showing that the fee prescribed under sub-rule (2) of rule 3 has been paid into the treasury. The Inspector shall then satisfy himself that the fee and the extra fee, if any, chargeable for inspection on a Sunday or other holiday as laid down in sub-rule (6) of rule 4 together with the Inspector's travelling expenses, if any, chargeable under sub-rule (7) of rule 4 have been paid. If the date of inspection stated in the application by the owner is unsuitable the Inspector shall fix a date within thirty days from the date of receipt of the application for inspection of the boiler and shall give the owner not less than ten days notice in Form C of the date so fixed.

V. DUTIES OF INSPECTORS.

12. Subordinate to Chief Inspector.-Inspectors shall be directly subordinate to and under the control of the Chief Inspector.

13. General duties of Inspectors .- The main duties of the Inspectors as laid down in the Act shall be the inspection and examination of boilers and steam pipes. Inspections shall be carried out in strict accordance with part II of the Regulations and Chapters VIII and IX of these rules.

14. Kind of inspections .- There shall be two kinds of inspection of boilers :---

- (a) When the certificate granted under the Act is about to expire or when it has been revoked or suspended under section 11 and the owner desires that it shall be renewed, a thorough examination inside and outside, shall be made by an Inspector in person, for which purpose the boilers must be prepared as required by regulation 150. 381(t)
- (b) An ordinary inspection may be made by an Inspector at any time for the purpose of ascertaining whether a certificate should be revoked or suspended under section 11.

(क) मुख्य निरीक्षक की बही में दर्ज सभी बाष्ट्रियों की विवधन बही।

(ग) अपील-बही ,

(ध) दुर्घटना-बही , और

(द.०) निबंधन और निरीक्षण-फीस को बही।

९०। बिलों का नियंत्रण ।-- मुख्य निरक्षिक सभी आकस्मिक बिलों और अपने अधीनस्थ पदाधिकारियां के यात्रा-भत्ता-गंबलों के संबंध में नियंत्रण या प्रांत्रहस्ताक्षर-पदाधिकारी होगा।

१९। ममाण-पत्र का लए आवदन । ांकसा काष्यत्र का लए प्रमाण-पत्र का आवश्यकता होने पर उसका स्वामा फारम ख, स० १ म वाष्यत्र-ानराक्षक क पास आवेदन करेगा । आवेदन में वह ताराख दी रहगा जबाक वाष्पित्र निराक्षण क लिए तयार रहेगा और ऐसे आवसून के साथ चालान का एक दूसरा प्रांत यह दिखान कालए दा रहगों कि स्थिम २ के उपाननयम (२) क अधीन विह्ति फास कांबागार म चुका दा गया हूँ। इसक बाद उनराक्षक अपना समाधान कर लगा कि फास, आर नियम ४ के उप-नियम (७) के अधान भारितव्य निराक्षक-यात्रा-व्यय तथा नियम ४ के उप-नियम (६) क अनुसार रविवार या अन्य छुट्टी के दिन निराक्षण के लिए भारितव्य काई आंतरिक्त फास चुका दा गया है। याद स्वामा द्वारा आवेदन में दी गया निरक्षिण को ताराख उपयुक्त नहां, ता निरक्षिक आवेदन प्राप्त करने को ताराख से तीस दिना क भीवर वाष्पित्र के निरीक्षण के लिए एक तारीख नियव कट्रेगा और वाष्पित्र-स्वामी को कम-सं-कम इस दिन पहले इस प्रकार नियत तारीस की सूचना फारम ग में देगा।

४। जिरीक्षकों के कर्तन्य ।

. १२ । मुख्य निरीक्षक के अधीनस्थ ।---निरीक्षक सीधे मुख्य निरीक्षक के अधीन और उसके नियंत्रण में रहोंगे।

१२। निरीक्षकों के सामान्य कर्त्तव्य । जैसाकि अधिनियम में विनिद्वित है, निरीक्षकों का मुख्य कर्त्तव्य वाब्यित्रों और वाब्य-नलियों (स्टीम पाइप्स) का निरक्षिण और परीक्षण होगा। सर्वदा विनियमावली के भाग २ और इस नियमावली के अध्याय ८ और ६ के अनुसार ही निरीक्षण किये जायेगे ।

१४। निरीक्षण क्रे प्रकार । चाष्प्रियों का निरीक्षण दो प्रकार का होगा—

(क) जब अधिनियम के अधीन दिये गये प्रमाण-पत्र की अवधि समाप्त होने को हो अथवा जब वह धारा ११ के अधीन प्रतिसंहत या निलंबित कर दिया गया हो आरे उसका स्वामी उसका नवीकरण चाहता हो, तो निरक्षिक स्वयं सर्वागपूर्ण परीक्षण (बाहरी और भीतरी दोनां ही) करेगा जिसके प्रयोजनार्थ विनियम १४० की अपेक्षानुसार वाष्प्रित्रों को अवश्य तैयार रखा जाएगा।

(स) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रमाण-पत्र धारा ११ के अधीन प्रतिसंहत या निलंतित किया जाए या नहीं, कोई निरीक्षक किसी भी समय साधारण dia ... निरीक्षण कर सकेगा।

15. Search for unregistered boiler.—In addition to the inspection and examination of boilers it shall be the duty of Inspectors to search for unregistered or uncertificated boilers within their areas, and to see that certificated boilers are worked in accordance with the terms of their certificates, and with any regulation or rule under the Act for safe working.

16. Inspectors to advise owners.—At the time of inspection, Inspectors may advise the owner and the person in charge of the boiler, on the management and upkeep of the boiler with special reference to the amount of cleaning required in view of the quality of water used.

17. Specific duties .- Inspectors shall ---

- (a) prepare a programme of inspections with regard to the convenience of owners generally and submit it to the Chief Inspector for approval at such periods as he may fix, at least fourteen days before the first date fixed in the programme;
- (b) maintain and keep in their office a memorandum of inspection book for each boiler in their charge, in which shall be entered in ink their notes on each inspection and any other particulars affecting the history of the boiler. A copy of these notes shall be entered in the place provided on Form B, no. 2;
- (c) keep a diary for monthly submission to the Chief Inspector, showing places visited, boilers registered or inspected, variations from the programme, and any other important particulars;
- (d) receive applications for registration or inspection under section 7 or 8, proposals for repairs, alterations or renewals under sections 12 and 13, reports of accidents under section 18;
- (e) enquire into accidents to boilers or steam pipes and report to the Chief Inspector;
- (f) report to the Chief Inspector cases of unreported accidents discovered at the time of inspection; and
- (g) submit for the orders of the Chief Inspector-
 - (i) the memorandum of inspection and registration books of all boilers proposed for registration under section 7;
 - (ii) proposals for increasing or decreasing the pressure of a boiler after inspection under proviso (a) (ii) to subsection (5) of section 8;

१४ । अनिबंधित वाष्प्रियों के लिए तलाशी वाष्प्रियों के निरीक्षण और परीक्षण के अपि-रिक्त, निरीक्षकों का कर्त्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्रों के भीतर अनिबंधित या अप्रमाणित बाष्पित्रों के लिए तलाशों करें और यह देखें कि प्रमाणित वाष्प्रियों से उनके प्रमाण-पत्रों के बंधेजों और आंधनियम के अधीन निराषद चालन संबंधी किसी विनियम या नियम के अनुसार काम लिया जा रहा है।

15

१६। निरीक्षक स्वामियों को सलाह दोंगे।—निरीक्षण के समय निरीक्षक वाष्ट्रित्र के स्वामी और प्रभारी व्यक्ति को वाष्ट्रित्र के प्रबंध और देख-रेख के बारे मों तथा खासतार से प्रयुक्त जब की किस्म को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित सफाई की मात्रा के सम्बन्ध में सलाह दे सर्फगा।

१७। विशेष कर्त्तव्य ।-- निरक्षिक --

- (क) सामान्यतः स्वामियां का सुविधा का ध्यान रखत हुय निराक्षण संबन्धी कार्यक्रम तेयार करगे आर उस मुख्य निराक्षक क सामन, उसक द्वारा नियत अवधियां पर कार्यक्रम म नियम प्रदेता ताराख क कमन्सन्कम चांद्रह, तेंद्रने पहले अनुमदिनार्थ उपस्थापित करेगे ,
- (स्र) अपन कायालया म, अपन प्रभार क हर वाव्यव क लए निराक्षण-झाप-गढ़ी रहांग जिसम हर निराक्षण पर दा गया उनका टिप्पाणया आर वााव्यव कर्दे विवृत्त का प्रभावित करन वाल अन्य विवरण स्याहा सं दुर्ख किय जार्गगा हुन टिप्पणियों को प्रतिलिपि फारम हा, सं० २ पर दी गया जगह पर उतारा बाएगी ह
- (ग) मुख्य निरीक्षक के सामने मासिक उपस्थापंत के निमित्त एक डायरी रखेंगे जिसमें निरीक्षित स्थान, निर्वाधित या निरीक्षित वाध्यित्र, कार्यक्रमों में हेरफोर, आंर अन्य आवश्यक विवरण दिखाए जाएगं ,
- (घ) धारा ७ या ५ के अधीन निबंधन या निरीक्षण संबन्धी आवेदन, धारा १२ और १२ के अधीन मरम्मत, फरे-बदल या नवीकरण के लिए प्रस्ताव और धारा १९ के अधीन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे;
- (8.0) 'वाष्पित्रों' अथवा वाष्प-नलियों' (स्टीम पाइप्स) संबंधी दुर्घटनाओं' की जांच करके मुख्य निरीक्षक को रिपोर्ट करेंगे ,
- (च) निरीक्षण के समय पायी गयी , एंसी दुर्घटनाओं के मामलों की रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को करेंगे जिनकी रिपोर्ट न की गयी हो , और
- (छ) मुख्य निरीक्षक के आदेश के लिए निम्न कागज-पत्र पेश करेंगे-
 - (1) धारा ७ के अधीन जिवंधन के लिए अस्तावित सभी वाष्त्रियों की निरीक्षण कर
 - (ii) धारा ८ की उप-धारा (४) के परन्तुक (ए) (ii) के वधीन निरीयन के वापियन के चाप (प्रेशर) को बढ़ाने या घटाने के संबंध में प्रस्ता

(iii) proposals for necessary repairs, structural alterations or renewals to a boiler after inspection under section 8 or 12;
 (iv) proposals for revoking, cancelling or refusing to renew a

(v) report when boilers have not been properly prepared for inspection under section 14;

(vi) proposals for prosecutions under the Act.

18. Inspector's declaration. When an inspection under the Act is completed, the Inspector making it shall prepare a declaration in Form B, no. 2, in which the limit of the working pressure, in pounds per square inch, and the period for which the certificate is to be granted shall be clearly noted.

19. Grant of certificate for the use of boiler.—Upon receipt of the declaration in the office, a certificate authorising the use of the boiler shall be prepared in the Form VI prescribed by regulation (62)³³⁹Such certificate shall be signed by the Inspector and the Chief Inspector and shall be delivered to the owner, manager or agent of the steam hoiler inspected.

The time for the inspection of boiler shall be between sunrise and sunset.

VI. ACCIDENTS.

20. Investigation of accident.—On receipt of a report of an accident to a boiler on steam-pipe under section 18, the Inspector shall, with the least possible delay, proceed to the place to investigate the accident. If the report is received by the Chief Inspector, he shall forward it at once to the Inspector, within whose jurisdiction the accident has occurred, for necessary action.

21. Procedure during enquiry.—The Inspector at his enquiry shall, make a careful examination of the damaged parts, and shall take such measurements and make such sketches for the purpose of his report, as he may deem necessary. He shall enquire into the circumstances attending the accident and note that time of its occurrence, its nature and extent, the injury, caused to persons and the damage done to property. The report should be in the style of the Reports of Preliminary Enquiries under the British Boiler Explosion Act, 1882 and 1890.

22. Power to hold enquiry in writing, Inspectors shall take the written statements of witnesses and all persons immediately concerned with the accident. In order to comply with the provisions of subsection (2) of section 18 the Inspector shall present to the owner or person in charge of the boiler a series of written questions on all points

17 (11) आस ८ पा १२ के अधीन निरीक्षण के बाद माणिम की आवष्ट्रपक मरम्मड परचनात्मक परिवर्तन या नवीकरण के संबंध में प्रस्ताव , (12) धारा ८ या ११ के अधीन किसा अमाण-पत्र को प्रांतसहत या रहु करने अभवा जिसका नवीकरण, अस्वीकृत करन के संबंध में प्रस्ताव , (2) याद बाण्यव धारा १४ के अधान निर्दाक्षक के लिए समुग्रचत रूप स तैयार नहीं रख गय हा ता उसका रिपाट , (2), जीधनियम के अधान अभयाजन संबंधों प्रस्ताव । 12

१८ । निराक्षक का घोषणा । आधानयम क अधान ानराक्षण पूरी हा जाने पर निरीक्षण कृत बाला निराक्षक फारम ख, स० २ म एक धाषणा-पत्र वयार करणा जिसमें चालान-चाम (बाक्न प्रेशर) का सीमा, पांच वर्ग इंच पांड म, ओर वह अवधि जिसके लिए प्रमीण-पत्र दिया जाने पुत्य होन साफसाफ ओक्त का जाएगा ।

९६। बाष्ट्रिज के उपयोग के लिए प्रमाण पत्र का दिया जाना। कार्यालय में घोषणा प्राप्त बाद सक बाष्ट्रिज के उपयोग को प्रााधकृत करने वाली प्रमाण पत्र ावानयस १६२ द्वारा विद्वित पारम ६ में तैयार किया जाएगा। एस प्रमाण पत्र पर ानराक्षक एक मुख्य निरीक्षक इस्ताक्षर करण थार बद्द निरीक्षित वाण्यित्र क स्वामा, प्रबधक या एजन्ट का दू दिया जाएंगा। बाण्यित के निरीक्ष्ण का समय सूर्योंद्रस और सूर्यास्त के बीच होगा।

दे। दुर्घटनाएं। अग्रे २०११ मुईटनाओं की जांच। धारा १९ के अधीन किसी वाष्पित या वाष्पनाती संबंधरे दुर्घटना की रिपोर्ट मिलने पर निरक्षिक, दुर्घटना की बांच करने के लिए, उस स्थान को अग्रितन रवाना होएँगा। धार, दुर्घटना की रिपोर्ट मुख्य निरक्षिक का प्राप्त हो तो उस फोल उस निरक्षिक के पाल आवश्यक कार्रवाई की लिए भोब इंगा बिसक क्षेत्राधिकार के भीतर दुर्घटना दुर्र बी. 13.00 र बीमांड 62 ohr. Sebno

द्भा बो। 2000 रा गाम्य को जोग गान्छा । १९११ बाद की प्रक्रिया। निर्माशक बाद करमें समय क्षत्रियुक्त आगों की सात्रधानी सं आप अगण और अपनी। रिपार्ट के बिए प्रथावश्यक माप लेगा और स्क्रेज तैयार करेगा। बह इन परिस्थितियों की बांच करेगा जिसमें दुईटना हुई ही तथा घटना का समय, उसका सका और विस्तार, व्यक्तियों को पहुंचा आधात और संपत्ति को पहुंची क्षति, जीकत करेगा। रिपार्ट दिविस लायबर एक्सप्लोजन एक्स, १८९२ और १९६० के अधीन, 'प्रारम्भिक जांच की रिपार्ट (रिपार्डड, आह प्रीतिग्री इनवज्यइरिज्य)'' की श्रांती में होनी चाहिए।

ा। प्रतिसित क्षेत्र में जांच करने की शाकित । -- निरीक्षक गवाहों और दुईटना से विनास्तर हमी स्वतिप्रयों, के लिसित बयान ले लेगा । धारा १९ न की उप-धारा (3) के इपल्यों) का स्वते के लिए जिसीक्षक माध्यित्र के ख्वामी था। प्रभारी व्यक्तियों को उन सभी विषयों अपर

23. Use of Boiler after accident.-The Inspector shall decide whether the use of the boiler can be permitted at the same or at a lower pressure without repairs or pending the completion of any repairs or alterations that he may order. In no case shall he issue a provisional order or renewal certificate, until his orders have been carried out.

24. Procedure in case of serious accidents .- The report shall be sent without delay to the Chief Inspector who, if he considers that the investigation has been sufficient, shall record the facts in his register of accidents and shall enter a brief account of the accident in the registration and memorandum of inspection books. If, however, the accident is of a serious nature and in all cases in which an explosion has occurred the Chief Inspector, on receipt of the report of the Inspector, shall proceed to investigate the accident personally.

25. Reference in Annual report.-A brief account of all accident and their causes shall be included in the annual report on the working the Act.

26. Unreported accidents.-If in the course of an inspection of a any other time, the Inspector discovers damage which comes within the definition of an accident, but which has not been reported, he shall report the facts at once to the Chief Inspector for action under clause id of section 24.

VII. APPEAL.

27. Definition of Appellate authority .- In this part "appellate", authority" means the appellate authority constitute under rule 28.

28. The Commissioner of the Chota Nagpur Division as President occasion shall be the appellate authority for the purposes of section 20

Provided that no person shall be appointed an assessor, who directly interested in the boiler about which an appeal is made and who is not a fully qualified mechanical engineer.

hearing of the appeal, a fee to be fixed by the local Government subject an that i to a maximum of one hundred rupees a day for every day occupied b the hearing in addition to travelling allowance on such scale as may be fixed by the local Government in this behalf.

30. Filing of appeal.-Every petition of appeal shall be made, it writing either in English or in the vernacular.

31. Presentation of appeal.-A petition of appeal may be presented either personally or by registered post to the Chief Inspector.

by the original order, notice or report appealed against, or by a certifie copy thereof; by a clear statement of the facts appealed against, the grounds of appeal, and the relevant section of the Act. - ----

२३ । दुर्घटना के बाद वाष्ट्रित का उपयोग ।---निरीक्षक यह निर्णय करेगा कि बिना मरम्मत ने अथवा उसके द्वारा आदिष्ट भरम्मत था फोर बदल होने तक, वाब्पित्र का उसी या उससे कम प्रेंशर पर उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती हैं या नहीं।

२४। गंभीर दुर्घटनाओं के केस में प्रक्रिया।--रिपोर्ट अविलम्ब मुख्य निरीक्षक को भेज ि जाएगी। यदि मुख्य निरीक्षक समभ्ते कि पर्याप्त अनुसंधान हो चुका है तो अपनी दुर्घटना-नहीं में तथ्यों को लिख लेगा और निबंधन तथा निरीक्षण-ज्ञाप बहियों में दुर्घटना का संक्षिप्रा विवरण' दुर्ज करेगा । यदि दुर्घटना गंभीर हो तो और ऐसी सभी केसों में, जिनमें विस्फोट हुआ ों, निरीक्षक की रिपॉर्ट मिलने पर मुख्य निरीक्षक स्वंय दुर्घटना का अनुसंधान करने के लिए बाला होगा ।

१४ । वार्षिक रिपोर्ट में निर्देश ।--सभी दुर्घटनाओं और उनके कारणों का संक्षिप्त विवरण अधिनियम के कार्यान्वयन की बार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

अस्य किसी समय निरीक्षक को किसी ऐसी क्षति का पता लगे जो ड्रॉटना की परिमांबा में आती हो लेकिन जिसकी िपोर्ट न की गयी हो, तो वह धारा २४ के खंड (घ) के अधीन कार्रवाई के लिए तथ्यों की रिपोर्ट फ़ौरन मुख्य निीक्षक के पास करेगा।

७ । अपीला ।

२७। अपीलीय प्राधिकार की परिभाषा।—इस भाग में ''अपीलीय-प्राधिकार'' से तात्पर्य ह नेयम २९ के अधीन गठित अपीलीय प्राधिकार ।

२९ । धारा २० के प्रयोजनार्श अपीलीय प्राधिकार में छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अध्यक्ष हरएक अवसर पर स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले तीन असेसर रहाँगे । परन्त ऐसा कोइ भी व्यक्ति असेंसर के रूप में नियुक्त न किया जाएया जो उस वाध्यिक 28. The Commissioner of the Onota Hagen Government on each? and for the assessors to be appointed by the local Government on each? and for the assessors to be appointed by the nurbority for the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors and the assessors to be appointed by the purposes of section 20 1000 and the assessors and the assessors and the assessors and the assessors are assessors as assessors are assessors a किनिकल इन्जिनियर न हो।

२१ । नियस २८ के अधीन नियुक्त असेंसर अपील की सुनवाई के लिए स्थानीय सारकार ाय नियत कीस लेगा। यह कीस, सनवाई में लगे हर दिन के लिए, इसके निमित्त स्थानीय ot a fully qualified mechanical engineer. 2°. An assessor appointed under rule 28 shall receive for the रकार द्वारा निवत दर से यात्रा-भत्ते के अतिरिक्त, अधिक-से-अधिक एक सौ करया प्राप्ति

३०। अपील फाइल करना। अपील की हर अजी लिखित रूप में अंगूरेजी या देशी भाषा हनकि लर) में दी जाएगी।

२१ । अपील पैश करना ।---अपील की अजी मुख्य निरीक्षक को स्वयं पैश की जायगी या मबंधित, हाक से भेजी जायगी।

२३ । अपील का फारम ।—अपील के आवेटन के साथ टह गूल आदेश, नोटिस या रिपोर्ट थवा जाकी प्रमाणित प्रति दी जायगी जिसके विरुद्ध अपील की जा रही हो, अधवा बुट्टि er personally or by registered post to all be accompanie नरित हुए में गोस कोई आदेश नरिय प्रति शेपाल की जा रही हो, अधवा 32. Form of appeal.—The petition of appeal shall be accompanie नरित हुए में गोस कोई आदेश नौटिस या रियोर्ट न ही गई ही तो आहेदन है मु र्थ्यां का जिनके डिकट अपील की जा रही हो, अपील के आधारों का और अफि 5, प्राय संराह धारा का स्पष्ट दिवरण दिया रहेगा।

33. Fixing date for hearing .- On receipt of an appeal, the Chief Inspector shall, if the appeal is to be heard by himself, at once for a date for hearing the appeal; and if it is to be heard by the appellate authority; obtain a date for the hearing of the appeal from the Press dent of that authority and under the instructions of the President arrange for the attendance of the assessors appointed under rule 28 for the appeal. No delay shall be made in deciding appeals .- The decision shall ordinarily be given within ten days from the receipt of the petition of appeal.

34. Procedure before hearing .- When the date for hearing has been fixed, the Chief Inspector shall at once issue a notice to the appellant stating the date fixed for hearing and informing him that if he wished to be heard in support of the appeal or to produce evidence. he shall be present either in person or by authorized agent with his evidence on the date fixed. The notice shall be sent by registered post to such address as shall be in the petition of appeal.

35. Presence of Inspector .- In all appeals the Chief Inspector shall decide whether the presence of the Inspector is necessary, and shall issue orders accordingly.

36. Attendance of witnesses .- The appellate authority shall have power to secure the attendance of witness and to make local enquiries and for this purpose shall exercise the powers of a Court under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908.

37. Ex-parte decisions .- If the appellant is not present on the data fixed, the appeal may be decided in his absence.

38. Costs in appeals .- In appeals before the appellate authority the President shall fix the costs and recover them from the appellant in any case in which the appeal is dismissed. In all cases of appeal in which a local inspection is required by the appellant he shall deposit in advance the full costs of such inspection.

39. Fees required for certificates granted on appeal.-Any order on appeal authorising the registering of a boiler or the grant or renewal of a certificate shall be deemed to be subject to the payment of such fees as are prescribed by rules or regulations framed under the Act.

VIII. ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS FOR REGISTRATION.

40. Importance of registration .- Inspector shall carry out the technical instructions for the registration of boilers, as laid down in Part II of the Regulations, with the greatest care and precision, as the details of measurement recorded at the time of registration constitute a permanent record for the boiler and determine the original pressure a which the boiler is allowed to work,

📭 । सुनवाई की तारील नियत करना ।--मुख्य निरीक्षक अपील प्राप्त होने पर, यदि अपोल की सुनवाई जर्स स्वयं करनी हो तो, अपील की सुनवाई की सारीख फॉरन नियत करेगा , आ। कहि अपील की सुनुवाई अपीलीय प्राधिकार दारा की जाये तो मुख्य निरीक्षक उस प्राधिकार ने अध्यक्ष से अपील की सुनवाई की तारीसः नियत करायमा आरे अच्चक्षण के अमुद्देशी के अधोन रहते हुए, अपील के निमित्त नियम २८ के अधीन नियुक्त असेंसरों की उपस्थिति का प्रबन्ध करेगा । अपीलां के निर्णय में कोई दिलंग्य नहीं किया जाएगा । साधारणत अपील की अर्जी परित होने के दिस दिनों के भीतर निर्णय कर दिया जाएगा, रा के महतवाई के पहले की प्रक्रिया । सुनवाई की तारीख नियत हो जाने के बाद, मुख्य निरीक्षक फोरन अपील कर्ता को एक नीटिस देगा जिसरों सुनवाइ" के लिए नियत तारील की कलीक रहेगा और उसे यह सूचित किया जाएगा कि यापि वह अपील के समर्थन में कुछ कहता या साक्ष्य प्रेश करना चाहता हो तो वह नियत तारीख को या अपने साक्ष्य के साथ स्वयं प्राधिकत एजेंद्र इ इतिये ज्यस्थित हो । नोटिस निवंधित (रजिष्ट्री) हाक द्वारा जस पत्ते से मेजी जाएगी

1 State of the other ward restanting हर) निरीक्षक की उपस्थिति । सभी अपीलों में मुख्य निरीक्षक यह निर्णय करेंगा कि निरीक्षक की छपस्थिति आवश्यक है या नहीं, और तदनुसार आदेश जारी करेगा। १४ । गर्वाहाँ की उपस्थिति । अपीलीय प्राधिकार को गर्वाहाँ को उपस्थित कराने और स्थानीय जांच करने की शाक्ति होगी और इसके प्रयोजनार्थ वह व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता कि आफ सिदिल प्रांसिडयोर) १६०८ के उपबंधों के अधीन न्यायालय की शक्तियाँ का प्रयोग करेगा। Non प्रमुवरफा निर्णय । यदि अपीलकर्ता नियत तारील को उपस्थित न रहे, तो अपील का निर्णय असकी अनुपस्थिति में किया जो सकगा।

२८ । अपील का खर्च ।—अध्यक्ष, अपीलीय प्राधिकार के सामने क्री गई अपीलों के संबंध में, एसे किसी क्रेस से जिसमें अपील खारिज कर सी गई हो, खर्च निधारित कर के अपीलकर्ता ब बसूल करेगा। अपील के उन सभी केंसों में, जिनमें अपीलकर्ता द्वारा स्थानीय निरक्षिण की अपेक्षा की आएं, अपीलकर्ता ऐसे निरीक्षण का पूरा खर्च पेशगी जमा कर देगा।

२९। अपोल पर दिये गए प्रमाण-पत्रों की अपेक्षित फीस,।-अपील, पर किसी दाष्ट्रिय के निबंधन अथवा प्रमाण-पत्र के प्रदान था नवीकरण के लिए दिया गया कोई आदेश तक के मभावी न होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन बनावे गए जियमां हा विनियामां हाता

अव राज्य देव दे। निर्वधन के लिये प्रशासनिक अनुदेश ।

जो अपील की अजी में दुई हो।

४०), निकथन का॰ महत्त्व तत्तिरिक्षक, विनियमावली के भाग २ में वाज्यिकों के निवधन जे लिए जिमिहिल सकनीकी अनुदुरेशा^क का पूरी सावधानी से और ठीकठीक...पावज्ञ **किंधे.** चूं फि⁰निबधन के समय अभिलिसित माप के ब्यारे वाष्ट्रित के स्थायी रेक्क्र हो , जाते हैं और बाबिपब जो जिस मुझे प्रेशर पर चलाने की अनुमासि ही जाती है उसका तिध्रहिण ज्वही व

41. Applications for registration under sub-section (1) of section 7. shall be made to the Inspector in accordance with the provision of rule II. No boiler shall be registered if on measurement the fee is found to be deficient, until the deficit has been paid. Any excess payment will be refunded according to rule 5.

42. Register of registered boilers.—The Chief Inspector shall maintain a register of registered boilers in serial order in Form A in two parts; in part I (boilers originally registered in the province) the registered number of a boiler shall be the one immediately following the last serial number in the register. Gap numbers due to boilers being broken up or transferred to another province shall not be filled up. In part II (boilers originally registered in other provinces) entries shall be made as prescribed in rule 44.

 $\sqrt{43}$. (1) Procedure on transfer of a boiler.—Whenever a boiler is transferred from one province to another, the owner shall, under section 6(b), apply to the Chief Inspector of the province to which the boiler is transferred, for the registration of the transfer; the boiler cannot be used until registration has been affected. The Chief Inspector shall then obtain from that province the registration book and memorandum of inspection book of the boiler, no fee shall be charged for recording transfer.

(2) Entry of transferred boiler in register.—On receipt of the registration the Chief Inspector shall enter the boiler under its original number in Part II of his register. The registration book and the memorandum of inspection book shall be kept as provided in clause (b) of rule 9 and clause (b) of rule 17.

44. Note of transferred and dismantled boilers.—Whenever a boiler has been transferred to another province, or broken up, the fact shall be noted in the register.

In the case of a boiler that has been permanently dismantled the registration book and the memorandum of inspection book shall be destroyed.

IX. ADMINISTRATIVE INSTRUCTIONS FOR INSPECTION.

45. Reference to previous inspections.—Inspectors shall carry on the inspection of boilers in accordance with the detailed instructions contained in Part II of the Regulations. The Inspector, previous to an inspection, shall scrutinize the memorandum of inspection book and shall note any entries that may have been made at the last inspection.

46. Procedure during inspection of boilers of a battery.-Inspectors, when inspecting one boiler of a battery, shall also examine the other boilers under steam, with special reference to the water gauges, pressure gauges and safety valves. ४९। धारा ७ की उप-धारा (९) के अधीन निबंधन के लिए आवेदन, नियम ९९ के उपबंध के अनुसार निरीक्षक के पास किये जाएगे। यदि माप करने पर फीस कम मालूम पड़े, तो कमी के चुकार्य जाने तक कोई वाष्पित्र निबंधित नहीं किया जाएगा। नियम ४ के अनुसार कोई भी अधिक भुगतान वापस कर दिया जायगा।

82 । निबंधित वाष्पित्रों की बही । मुख्य निरीक्षक एक निबंधित वाष्पित्र बही फारम क में, क्रमानुसार, दो भागों में रखेगा । भाग १ (मूलतः प्रांत में निबंधित वाष्पित्र) में वाष्पित्र की निबंधन संख्या, वही की पिछली क्रम संख्या के ठीक बाद की संख्या द्वोगी । वाष्पित्रों के दूटने या अन्य प्रांत में अंतरित्त किये जाने के कारण रिक्त संख्यायें भरी नहीं जाएगी । भाग २ (मूलतः अन्य प्रांतों में निबंधित वाष्पित्र) में नियम ४४ में यथाविहित प्रविष्टियां की जाएंगी ।

४३ । (१) वाष्पित्र के अंतरण के बाद प्रक्रियों ।—जब कभी कोई वाष्पित्र एक प्रांत से दूसरे प्रांत में अंतरित किया जाए तब वाष्पित्र-स्वामी धारा ६ (ख) के अधीन अन्तरण के निबंधन के लिए उस प्रांत के मुख्य निरीक्षक के पास आवेदन करेगा जहां वाष्पित्र अंतरित क्रियां गया हो । निबंधन न होने तक वाष्पित्र का उपयोग नहीं किया जा सकता । मुख्य निरीक्षक उस प्रांत (जहां वाष्पित्र निबंधित था) से वाष्पित्र की निबंधन-बहीं और निरीक्षण ज्ञाप बही प्राप्त करेगा । अन्तरिण दर्ज करने के लिये कोई फीस न ली जाएगी ।

(२) अंतरित वाष्पित्र को बही में दर्ज करना ।—निबंधन प्राप्त हो जाने पर, मुख्या निरीक्षक अपनी बही के भाग २ में वाष्पित्र को उसकी मूल संख्या के अधीन दर्ज करेगा । निबंधन-बही आरें निरिक्षिण-ज्ञाप-बही नियम १ के खंड (ख) और नियम १७ के खंड (ख) के अनुसार रखी जाएंगी ।

88 । अंतरित और तोड़े गये वाष्पित्रों का नोट ।—जब कभी कोई वाष्पित्र किसी दूसरे प्रांत में अंतरित किया जाये या टूट जाए, तब यह तथ्य बही में अंकित कर दिया जाएगा । यदि कोई वाष्पित्र स्थायी रूप से तोड़ दिया जाये, तो उसकी निबंधन-बही और निरीक्षण-झाप-बही नष्ट कर दी जाएगी ।

६। निरीक्षण के लिये प्रशासनिक अनुदेश।

४४। पिछले निरीक्षण के प्रति निर्द्रशाः – निरीक्षक विनियमावली के भाग २ में दिये गये विस्तृत अनुदेशों के अनुसार वाष्प्रियों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के पहले, निरीक्षक निरीक्षण झाम-बही को बारीकी से देख लेंगे और पिछले निरीक्षण के समय की गयी प्रविष्ट्रियों को अंकित करेंगे।

8६ । किसी कतार (बैंटरी) के वाष्पित्रों के निरीक्षण के समय अनुसरणीय प्रक्रिया ।— निरीक्षक किसी कतार (बैंटरी) के एक वाष्पित्र का निरीक्षण करते समय अन्य वाष्प्युक्त (चालू) वाष्प्रियों की भी जांच करेंगे जिसमें जलमापियों (वाटर गाजेज) चार्फमागियों (प्रेंशर गाजेज) और सुरक्षा वाल्वों (सेफटी वाल्क्स) पर खास ध्यान रहेगा ।

23

47. Issue of certificates and provisional orders.—All certificates, shall be issued from the head office after being countersigned by the Chief Inspector.

24

A provisional order shall be issued in each case of registration after the hydraulic test if the Inspector is satisfied. The Steam test may be taken at any convenient time within the period of the provisional order, after which, if the test is satisfactory, the certificate under section 7 shall be issued.

A provisional order shall also be issued after each completed inspection for renewal of the certificate so as to give authority for the use of the boiler pending the issue of the certificate.

The period specified in any certificate or provisional order shall begin on the day following that on which the completed hydraulic test or thorough inspection is made.

48. Form of provisional order and certificates.—Provisional orders and certificates shall be issued in Forms V and VI, respectively, prescribed under the Regulations.

FORM 'A'.

[Rule 9(a)]

BOILER INSPECTION DEPARTMENT REGISTER OF BOILERS.

Registry number.	Type of Boiler.	Boiler rating.	Number of manu- facturer.	Year and place of construc- tion.	Date of registra- tion.	Name of owner.	Place where in use.	Remarks (trans. fers, etc).
1	•	8	4	5	6	7	8	9
0								

४९। प्रमाण-पत्रों और, अन्वित्तम आदेशों का जारी फिया जाना।—सभी प्रमाण-पत्र मुख्य नरीक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के बाद प्रधान कार्यालय से जारी किये जाएंगे।

निषंधन के हर मामले में, जलीय परीक्षण (हाइड्रोंलिक टेस्ट) के बाद निरीक्षक के संतुष्ट ो जाने पर अत्तन्तिम आदेश जारी किया जाएगा। अनन्तिम आदेश की अवधि के भीतर किसी भी सुविधाजनक समय में वाष्पीय परीक्षण किया जा सकेगा, जिसके बाद, यदि परीक्षण (टरेन्) तोषप्रद हो तो धारा ७ के अधीन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।

प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए हर पूरे निरीक्षण के बाव एक अनन्तिम आदेश भी जारी कया जाएगा, ताकि प्रमाणपत्र जारी होने तक वाषित्रव के उपयोग का अधिकार दिया जा सके। किसी भी प्रमाण-पत्र या अनन्तिम आवेश में उल्लिखित अवधि उस दिन के बाद वाले इन से आरम्भ होगी जिस दिन पूर्ण जलीय परीक्षण या पूर्ण निरीक्षण किया गया हो। ४८। अनन्तिम आदेशों और प्रमाण-पत्रों का फारम। —अनन्तिम आदेश और प्रमाण-पत्र,

निबमावली में विद्वित, क्रमशः फारम ४ और ६ में जारी किये जाएंगे।

फारम 'क'

[(नियम ह(क))]]

वाष्पित (ब्वायलर) निरीक्षण विभाग

वाष्पित्र -बही .

अभ्य क्ति

(अन्तरण;

आदि)।

वंधन वाण्पित ब्वायलर निर्माता संरचना निबंधन स्वाभी उपयो ख्या। का रेटिंग। का कावर्ष की का का प्रकार। नाम। और तारीख। नाम। स्थान। स्थान।

२ २ ४ ४ ६ ७ ५

टिप्पणी- वहीं के भाग २ के स्तंभ 9 में बाध्यित्रों की जिल्लान लेला की

		Registered no.						निबंधन संख्या	••••••
		Certificate no.	,					प्रमाण-पत्न संस	ज्या
APPLICATIC STEAM-J 1923.	For THE PIPES UNDEF	DRM B, NO. 1. INSPECTIO & THE INDIA	N OF BOI	ILERS AND ACT, V OF	भारतीय वाष्पिव		ारम ख, सं० १		
		(Rule 11). DIVISION I.			भारतीय वाब्पिन्न ग्रौर वाब्प न	ालियों (स्टीम	राज्यन ज्यायलस पाइप्स) के नि (नियम ११)		९२३ के प्रधीन वा ये आवेदन ।
Registered number of boilers.	Name of owner.	Where situated.	Date of inspection.	Description of boiler and age.	а. 		(स्वन्तर) भाग १		
					वाष्पित्नों की नि बं ध न- संख्या ।	स्वामी का ुनाम ।	कहां ग्रवस्थि त ह ै ।	निरीक्षण की तारीख ।	वाष्पित्न का दि श्रौर उपयो ग श्रवधि ।
	ALC: NO.				9	२	3	8	<u>ب</u>
of fees charg apply to the the above n Dated	Teable under rule Inspector of Bo	ilers for an ins	pection of, and	of the payment les, and hereby l certificate for,	बिहार वाष्पित नि के प्रमाणस्वरूप, में इस इसके द्वारा उपयु क्त वा पास आवेदन करता हू।	ष्पिन्न के निरो	नेयम ३(२) के व गगार-चालान की क्षण श्रौर प्रमाण	दूसरा प्रात स -पत्न के लिए व	नीफोसके भुगत लग्न करता हूँ गुष्पिन्न-निरीक्षक
			C	WNER.				🔅 स्व।	भी। 🌐

đ

20

F

the state



зу Form B, no. 2.	-अध्य फारमें ख,स°०२।
(RULE 18.) DECLARATION OF INSPECTOR.	(नियम १६ ।) निरीक्षक की घोषणा।
Register no. of boiler	वाष्पित्न की बही-सं॰
Description	विवरण
Boiler rating	ब्वायलर रेटिंग
Particulars of Hydraulic Test	जलीय परीक्षण (हाईड्रॉलिक टेस्ट) का विवरण
	निरीक्षण की तारीख
Date of Inspection	म्रधिकतम चालन चाप (वर्किंग प्रेशर)
Maximum Working Pressure	प्रमाण-पत्न की ग्रवधि
Period of certificate	ग्रम्युमित ।
The above noted boiler was inspected by me on the 19 and found to be in accordance with the requirements of the Indian Boilers Act, V of 1923. The boilers with attached steam pipes is in charge of a competent person; and is not in a dangerous condition. The boiler will, in my judgment, be safe for the period and at the working pressure, stated in this form. Dated at	मैं ने १९ को ऊपर लिखे वाष्पित का निरीक्षण किया ग्रौर उसे भारतीय वाष्पित ग्रधिनियम (इंडियन ब्वायलर्स एकट) ५, १९२३ की ग्रपेक्षानुसार पाया। स'लग्न वाष्प-नलियों के सहित वाष्पित एक सक्ष म ब्यक्ति के जिम्मे है ग्रौर ख तरनाक हालत में नहीं है। मेरे विचार में वाष्पित इस फारन में उल्लिखित ग्रवधि ग्रौर चालन-चाप (वर्किंग प्रेणर) में निरापद रहेगा। स्थान
Thisday of19 . Inspector of Boilers, Bihar.	वाष्पित-निरीक्षक, बिहार ।
The period of Domain , Daniel ,	

.

~

.

a

の時間ないの

1

and a start

	32	फारम ग
	FORM C.	(नियम ११)
	(Rule 11.)	भारतीय वाष्पित ग्रधिनियम (इंडियन ब्वायलर्स ऐक्ट), १९२३ (सं० ४, १९२३), धारा ७ ग्रौर द के ग्रधीन वाष्पित्नों (ब्वायलर्स) के परीक्षण की नोटिस ।
INDIAN E	BOILERS ACT, 1923 (V OF 1923).	धारा ७ ग्रार ५ क ग्रधान वाण्पित्रो (ब्वायलर्स) के परीक्षण की नोटिस ।
Notice of Exami	nation of Boilers under sections Z and 8.	सं॰ १६ ।
No.	of 19 .	वाष्पित्न-निरीक्षक का कार्यालय ।
	Office of the Chief Inspector of Boilers.	ता॰१૯ ।
	Dated19 .	
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
reby informed that	application, dated, you are boiler registry noat the above- be thoroughly examined by the Government hydraulically tested To enable the examination to be made, you	आपके आवेदन, ता॰ के उत्तर में आपको इसके ढारा सूचित किया जाता हूँ कि ऊपर उल्लिखित परिसर में सरकारी निरीक्षक ढारा को वाष्पित (निबंधन सं॰) का परिपूर्ण परीक्षण/जलीय परीक्षण होगा। परीक्षण हो सके, इसके लिए आप निम्न बातों के लिये बाध्य हैं:
e bound-		(क) प्ररीक्षण के लिये निरीक्षक को सभी उचित सुविधायें और ऐसी सारी जानकारी देना जिनकी उचित रूप में ग्रापसे ग्रपेक्षा की जाए ;
examinat	the Inspector all reasonable facilities for the ion and all such information as may reasonably ed of you;	(ख) बाष्पित्न को, विहित रीति से, ग्रौर उचित रूप में परीक्षण के लिये तैयार श्रौर ठीक रखना; तथा
in the p	boiler properly prepared and ready for examination rescribed manner; and	(ग) वाणिपत के निबंधन के लिये किये गए ग्रावेदन की दशा में, यथाविहित ग्रारेखन (ड्राइंग), विशेष विवरण, प्रमाण-पत्न ग्रौर ग्रन्य ब्योरों की व्यवस्था करना।
to provid	of an application for the registration of a boiler, - le such drawing, specifications, certificates and rticulars as may be prescribed.	- व्यवस्था करना।
oucher no.		1 8 miles
easury chalan no.	in acknowledgement of duplicate	× ·····
•	for Rs. accompanies.	वाष्पित्न-निरीक्षक, बिहार ।
1. ·	Inspector of Boilers, Bihar.	अपेक्षित तैयारी के लिए इस फारम की पीठ पर देखें।)
	e reverse for preparation required.)	

(Reverse of Form C.)

(cs)

0.0

ġ.

PREPARATION FOR EXAMINATION.

(See Part II, Chapter I of the Regulations.)

REGULATION 150.

(A) Preparation for Thorough Inspection.

At every inspection of a boiler for the grant or renewal of certificate, the boiler shall be empty and thoroughly clean in all its part All doors of manholes, handholes, and sight holes, and cleaning pluand all caps in the headers and feed-drums of water tube boilers, a firebars, bearers, front plates, bridge plates, firebridges, brick archer oil fuel burners and mechanical stoker fittings shall be removed. A valves and cocks comprising the boiler mountings shall be opened u and taken apart and the valves and cocks ground, when necessary before the Inspector's visit.

Provision shall be made for the removal of lagging or brickwork of other concealing part and for the drilling of plates, if required by the Inspector, and for verifying the pressure gauge and safefy valve diament sions and weights. All smoke tubes, exterior of water-tubes, smolhoxes, and external flues must be swept clean.

Provision shall be made for the effective disconnection of all ste and hot water communication with any other boilers under steam, prescribed in Part III of the Regulations. This shall be effected ei by the removal of a length of pipe from the steam feed piping or by insertion of substantial flanges, where blank flanges are employed flu shall be inserted between the flange of the chest and the pipe attache to it. No blank flange shall be inserted between a safety valve che and the boiler.

.... NOTES.--These provisions as to effective disconnection shall effective disconnection shall effect to every case wherein a person is sent, or with the assent of the of or person in charge goes, into a boiler for any purpose (See Part I) the Regulations).

(फारम ग की पीठ)

परीक्षण के लिए तैयारी।

(देखें विनियमावली का अध्याय १।)

विनियम ३७६ एवं ३७८ ।

(क) परिपूर्ण निरीक्षण के लिए तैयारी।

प्रमाण-पत्न के प्रदान या नवीकरण के लिए वाष्पित्न के हर निरीक्षण के समय अवाष्पित खाली रहेगा और उसके सभी पार्ट-पुर्जे अच्छी तरह साफ किये रहेंगे। मैनहोल, हैं इहोल और साइटहोल के सभी दरवाजे, क्लीनिंग प्लग तथा वाटर-ट्यूब ब्वायलर (वाष्पित) के हेडर और मडड्रम के सभी कैप तथा सभी फायर वार, चियरर, फांट प्लेट, पिज प्लेट, फायर ब्रिज, ब्रिक आर्क, आयल फुएल बर्नर और मेकेनिकल स्टोकर फिटिंग हटा दिये पजाएंगे। निरीक्षक के मुधायने के पहले ब्वायलर माउन्टिंग के सभी बाल्ब और कॉक बोल कर अलग-अलग कर दिये जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार वाल्ब और कॉक ग्राइंड .रर लिए जायेंगे।

निरीक्षक के कहने पर लैगिंग या ब्रिकवर्क ग्रथवा ग्रन्थ ग्राच्छादक भागों (कंसीलिंग किंग्रे किंग्रे की हिलिंग के लिए तथा चाप मापी (प्रेशर गेज),

(लबर) १---लाइनो---१ ००- २६---१९६१----रा०ना० सिन्हा

PREPARATION FOR HYDRAULIC TEST.

(B)

The chest of all mountings subject to steam pressure shall be in place and shut tight or blankflanges. The safety valves shall either be jammed down or removed and the chest-opening blank-flanged. The attachment for the Inspector's pressure gauge shall be in order. All doors shall be properly joined and tightended up. The boiler shall be completely filled with water, care being taken to allow all air to escape and, if possible, a preliminary test not exceeding the working pressure of the boiler shall be taken before the Inspector's visit to test the tightness of the joints. When a boiler is hydraulically tested for the first time, it shall be entirely cleaned of lagging or brick-works; at subsequent tests the lagging or brick-work or portions thereof, shall be removed if required by the Inspector.

PREPARATION NOW REQUIRED (A), (B).

NOTE.—The last certificate for the boiler shall be shown to the Inspector.

'Tapped 1" Whitworth bolt and nut thread.

sions and weights. All smoke tubes, exterior of water-tubes, smol hoxes, and external flues must be swept clean.

Provision shall be made for the effective disconnection of all ste and hot water communication with any other boilers under steam, prescribed in Part III of the Regulations. This shall be effected eiby the removal of a length of pipe from the steam feed piping or by insertion of substantial flanges, where blank flanges are employed the shall be inserted between the flange of the chest and the pipe attache to it. No blank flange shall be inserted between a safety valve che and the boiler.

... NOTES.--These provisions as to effective disconnection shall e_{fe} to every case wherein a person is sent, or with the assent of the d or person in charge goes, into a boiler for any purpose (See Part I) the Regulations).

37

(ख) जलीय परीक्षण (हाइड्रॉलिक टेस्ट) के लिए तैयारी।

स्टीम प्रेशर से संबद्ध सभी माउन्टिंग के चेस्ट अपनी जगह पर रहेंगे और उन्हें हसकर बंद था "ब्लैक फ्लेंज" किया जायगा। सेफ्टी बॉल्ब या तो "जाम" कर दिये हाएंगे या हटा दिये जाएंगे और चेस्ट ऑपेनिंग ब्लैक फ्लेंज किये रहेंगे। निरीक्षक हे प्रेशर गंज का अटैंचमैंन्ट दुरुस्त रहेगा। सभी दरावजे अच्छी तरह जुड़े और हे प्रेशर गंज का अटैंचमैंन्ट दुरुस्त रहेगा। सभी दरावजे अच्छी तरह जुड़े और हे रहेंगे। याध्पिन्न पूरी तरह पानी से भर दिया जायगा, पर इस बात की सावधानी खी जाएंगी कि सारी हवा बाहर निकल जाये। यदि संभव हो तो निरीक्षक के वायने के पहले जोड़ों के कसाव की जांच के लिए एक प्रारंभिक जांच कर ली एंगी जिसमें वाष्पित के चालन-चाप (वर्किंग प्रेशर) से अधिक प्रेशर न होगा। ब किसी वाष्पित का पहली बार जलीय परीक्षणों में लैंगिंग या ब्रिकवर्क या उसके अंश ारीक्षक के बहुने पर हटाए जाएंगे।

ग्रभी ग्रपेक्षित तैयारी (क), (ख)।

पणी - वा, व्यत्र का अन्तिम प्रसाण-पत्र निरीक्षक को दिखाया जायगा।

..... है " "ब्हिटवर्थ बोल्ट एवं नट धोड" टेप किया हुआ।



GOVERNMENT OF INDIA C LAW (MINISTRY OF) "11[Central Governread Deputy" "Inspector" "1850" read "1950" "the 10 read "omitted" 18 (2), line v, j Government] in sub-section (4), last line, for OT. for "Act "Act "1980" à of 1923 BOILERS line read ERRATA ead for "3[Central (2), of' line, "0L8T.» in sub-section Deputy". "Act INDIAN dn modified 3, sub for ŝ tors' ŝ footnote footnote footnote footnote footnote section ection ment] (ii) Ē 5 9 2 3 ۶ Page

LIST OF AMENDING ACTS AND ADAPTATION ORDERS

1 The Repealing Act, 1927 (12 of 1927).

2. The Indian Boilers (Amendment) Act, 1929 (9 of 1929).

3 The Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.

4 The Indian Boilers (Amendment) Act, 1937 (11 of 1937).

5 The Repealing and Amending Act, 1939 (34 of 1939).

The Indian Boilers (Amendment) Act, 1942 (5 of 1942).

7. The Indian Boilers (Amendment) Act, 1943 (17 of 1943).

8. The Indian Boilers (Amendment) Act, 1947 (34 of 1947).

9. The Indian Independence (Adaptation of Central Acts and Ordinances) Order, 1948.

). The Adaptation of Laws Order, 1950.

The Part B States (Laws) Act, 1951 (3 of 1951).

2. The Indian Boilers (Amendment) Act, 1951 (38 of 1951).

The Indian Boilers (Amendment) Act, 1952 (25 of 1952).

The Repealing and Amending Act, 1952 (48 of 1952).

The Adaptation of Lawre (NT-